



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939

No. 646]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

सं. 04/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.नि. 938(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, की धारा 9 की उपधारा (4) के साथ पठित माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, की धारा 8 के अंतर्गत उन पर उद्घृणीय सम्पूर्ण माल और सेवाकर प्रतिपूर्ति उपकर से, किसी आपूर्तिकर्ता, जो पंजीकृत नहीं है, से केन्द्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 32 के उप-नियम (5) के अंतर्गत यथा निर्धारित ऐसे सेकेण्ड हैंड माल की बाह्य आपूर्ति के मूल्य पर सेकेण्ड हैंड माल की खरीद और बिक्री में सौदा करने वाले और माल और सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर अदा करने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए सेकेण्ड हैंडमाल की राज्यान्तर्गत आपूर्ति को छूट प्रदान करती है।

[फा. सं. 354/136/2017-टीआरयू]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2017

No. 04/2017-Compensation Cess (Rate)

G.S.R. 938(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), read with sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of second hand goods received by a registered person, dealing in buying and selling of second hand goods and who pays the goods and services tax compensation cess on the value of outward supply of such second hand goods as determined under sub-rule (5) of rule 32 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, from any supplier, who is not registered, from the whole of the goods and services tax compensation cess leviable thereon under section 8 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, read with sub-section (4) of Section 9 of the Central Goods and Services Tax Act.

[F. No. 354/136/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.